

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में सत्यों से जिफल्टा--नैड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 6.00 किमी०)

उक्त मो०मार्ग के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा०सं०-815/111(2)/14-57 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक 08/02/2014 द्वारा किमी० 6.00 लम्बाई हेतु रू० 48.71 लाख की अनुमोदित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	जिफल्टा	108	30
2	सत्यों	610	120
योग		718	150

यह समरेखन पटवारी राजस्व विभाग की चौकी से 100मी० दूरी पर आरम्भ होता है तथा सत्यों से मिलती होते हुए जिफल्टा गांव से लगभग 400मी० की दूरी पर समाप्त होता है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० आती है। इस समरेखन में ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 4.32 है० वन भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ यह वन भूमि न्यूनतम वनभूमि है। मोटर मार्ग का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन 6.00 किमी० ल० तथा 9मी० चौड़ाई में किया गया है। उक्त वन भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग के बन जाने से क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा एवं ग्रामवासियों को यातायात/कासकारों को दैनिक व सामाजिक जीवन का लाभ हो सकेगा। जिसका वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तथा पूर्व स्वीकृति हेतु गठित किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण कर दिया जाय।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०विभाग
अल्मोड़ा

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०विभाग
अल्मोड़ा